संख्या- 10/2022-203-2022-2023-001-53 2099 1166 2019-10(बजट)/17

प्रेषक,

रविशंकर गुप्ता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास,
उ0प्र0,लखनऊ ।

दुग्ध विकास अनुभाग- 2 लखनऊ : दिनांक 07 अप्रैल, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-16 अंतर्गत निदेशन एवं प्रशासन में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत की जा रही धनराशि निवर्तन पर रखें जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-01/वित्त संभाग-3/नियो0/नान प्लान/ 2022-23, दिनांक 01 अप्रैल,2022 का सदंर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-16 अंतर्गत लेखाशीर्षक निदेशन एवं प्रशासन मद में प्राविधानित धनराशि रू0 5669.23 लाख के सापेक्ष रू0 1889.74लाख निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है ।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विभाग) के अन्तर्गत लेखाशीर्षक -2404-डेरी विकास-001 निदेशन तथा प्रशासन- 03-सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें में प्राविधानित धनराशि रू0 5669.23लाख के सापेक्ष रू0 1889.74लाख(रूपये अटठारह करोड़ नवासी लाख चौहत्तर हजार मात्र) के व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित मानक मदों में उनके सम्मुख अंकित धनराशि आपके निवर्तन पर निम्न शर्तो के अधीन रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों/ समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा । धनराशि का व्यय निर्धारित प्रक्रिया एवं सक्षम स्तर का अनुमोदन लेते हुए ही किया जाय ।

(2) जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/ सहमति आवश्यक है, उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) स्वीकृति की जा रही धनराशि का आहरण /व्यय करते समय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 15/2021 /बी-1-829/दस- 2021-231/2022, दिनांक 30दिसम्बर, 2021 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(4) स्वीकृति की जा रही धनराशि का निर्धारित मानक मदों में व्ययोपरान्त मदवार उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को यथासमय उपलब्ध करायाजायेगा ।

3- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या -16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विभाग) के अधीन लेखा शीर्षक- ''2404-डेरी विकास-001-निदेशन तथा प्रशासन -03 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें'' के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा ।

4- उक्त वित्तीय स्वीकृति वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-- 15/2021 /बी-1-829/दस- 2021-231/2022, दिनांक 30दिसम्बर, 2021 के परिपेक्ष्य में निर्गत की जा रही है ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**धनराशि**
1	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	01 वेतन	13,18,40,000 (रुपये तेरह करोड़ अठारह लाख चालीस हजार मात्र)
2	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	03 मंहगाई भत्ता	4,87,81,000 (रुपये चार करोड़ सतासी लाख इक्यासी हजार मात्र)
3	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	04 यात्रा व्यय	3,33,000 (रुपये तीन लाख तैंतीस हजार मात्र)
4	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2,67,000 (रुपये दो लाख सड़सठ हजार मात्र)
5	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	06 अन्य भत्ते	33,000 (रुपये तैंतीस हजार मात्र)
6	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	08 कार्यालय व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
7	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	09 विद्युत देय	1,67,000 (रुपये एक लाख सड़सठ हजार मात्र)
8	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	10 जलकर / जल प्रभार	17,000 (रुपये सत्रह हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	83,000 (रुपये तिरासी हजार मात्र)
10	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
11	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	13 टेलीफोन पर व्यय	67,000 (रुपये सड़सठ हजार मात्र)
12	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
13	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2,33,000 (रुपये दो लाख तैंतीस हजार मात्र)
14	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
15	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	42 अन्य व्यय	3,000 (रुपये तीन हजार मात्र)
16	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	45 अवकाश यात्रा व्यय	33,000 (रुपये तैंतीस हजार मात्र)
17	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयरका क्रय	67,000 (रुपये सड़सठ हजार मात्र)
18	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1,67,000 (रुपये एक लाख सड़सठ हजार मात्र)
19	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	49 चिकित्सा व्यय	11,67,000 (रुपये ग्यारह लाख सड़सठ हजार मात्र)
20	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	51 वर्दी व्यय	33,000 (रुपये तैंतीस हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

21	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	55 मकान किराया भत्ता	43,33,000 (रुपये तैंतालीस लाख तैंतीस हजार मात्र)
22	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/ दस-2021-231/2022, दिनांक-30 दिसंबर, 2021 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(रविशंकर गुप्ता)
विशेष सचिव,।

10/2022-203(1)-20222023-001-53 2099 1166 2019 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)प्रथम/,द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज(इलाहाबाद) ।
3- वित्त नियन्त्रक, दुग्ध शाला विकास, उ0प्र0, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन ।
6- वित्त (व्यषय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन ।
7- आहरण एवं वितरण अधिकारी, दुग्ध आयुक्त कार्यालय, दुग्धशाला विकास, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ ।
8- वेबमास्टर, दुग्धुशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु ।
9- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(रविशंकर गुप्ता)
विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।